

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिसा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 13.06.2017

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 2808/12 में प्रदत्त निर्णय की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निम्नांकित अधिकारी जो वर्तमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कारागृहों में एक पारी में कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थापित हैं, के पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख कारागृहों में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम व पदनाम	कहाँ से	कार्य व्यवस्था के तहत पदस्थापित कारागृह	समायोजित स्थान	विशेष विवरण
1	डा. मुकेश कुमार जोशी, व. वि. (मनोरोग)	एसडीएच किसानगढ़, अजमेर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, अजमेर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, अजमेर	रिक्त पद पर
2	डा. निहाल, चि. अ. (मनोरोग)	जिला चिकित्सालय, बीकानेर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, बीकानेर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, बीकानेर	रिक्त पद पर
3	डा. दिनेश मेघराजानी, चि. अ. (मनोरोग)	एम. बी. एस. चिकित्सालय, कोटा	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, कोटा	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, कोटा	रिक्त पद पर
4	डा. पवन कुमार शर्मा, चि. अ. (मनोरोग)	जिला चिकित्सालय, भरतपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, भरतपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, भरतपुर	रिक्त पद पर
5	डा. प्रेम प्रकाश अग्रवाल, चि. अ. (मनोरोग)	जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, श्रीगंगानगर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, श्रीगंगानगर	रिक्त पद पर
6	डा. ओम प्रकाश गुप्ता, चि. अ. (मनोरोग)	जिला चिकित्सालय, अलवर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, अलवर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, अलवर	रिक्त पद पर
7	डा. पूरण वर्मा, चि. अ. (मनोरोग)	जिला चिकित्सालय, उदयपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, उदयपुर	राजकीय जेल डिस्पेंसरी, उदयपुर	रिक्त पद पर

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निजी सचिव, महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर
- 4- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज, जयपुर
- 5- संबंधित जेल अधीक्षक, कारागृह, राजस्थान
- 6- संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 7- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान
- 8- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
- 9- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
- 10- संबंधित अधिकारी
- 11- कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
- 12- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराये।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/507

दिनांक:- 01/08/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. निजि सचिव महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जेल अधीक्षक कारागार राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षक/नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त चिकित्सकों को कार्यमुक्त कर संबंधित जेलों में कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें। कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति इनके विरुद्ध सीसीए नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्रादि तैयार कर शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
9. आदेश/निजि पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राशत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर